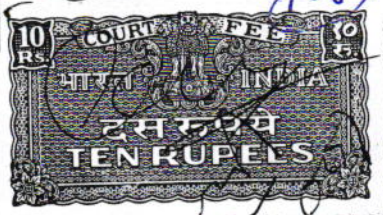

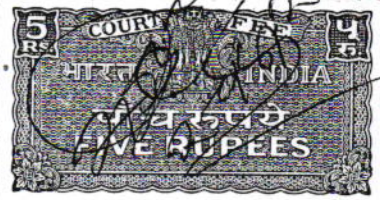

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल,म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2001 निगरानी

1/ जगन्नाथी बेवा श्री लक्ष्मीनारायण
2/ मुस० रामप्यारी बेवा श्रीलक्ष्मीनारायण
3/ मांग्या पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
4/ मांगीबाई पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण
5/ गोबरिया पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
6/ सुरेश पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
सभी जाति मीना, निवासीगण ग्राम चोपना, तहसील व जिला श्योपुर,म०प्र०

--- प्रार्थीगण

विरूद्ध

1/ बाबू खां पुत्र श्री बलीमोहम्मद
2/ शरीफे पुत्र श्री बलीमोहम्मद
3/ मुस० नसीबन बेवा श्री बलीमोहम्मद
0 निवासीगण ग्राम मानपुर,तहसील व जिला श्योपुर,म०प्र०
4/ हमीदन पुत्री श्री बलीमोहम्मद, निवासिन ग्राम क्षान (राजस्थान)
5/ असगरअली पुत्र श्री नूरे मोहम्मद निवासी ग्राम मानपुर,परगना व जिला श्योपुरकलां, म०प्र०

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग दिनांक 31-1-2001 अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 /प्रकरण क्रमांक 88/99-2000 निगरानी ।

- -

क्रमश: 2

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण कमांक 785–चार/2001 जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15-3-16	यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 88/99–2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–1–2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी तथा अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि लक्ष्मीनारायण पुत्र मोतीलाल मीना ने तहसील श्योपुर कलॉ में संहिता की धारा 169, 190, 110 के अंतर्गत आवेदन देकर ग्राम मानपुर स्थित अनावेदकगण के स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 1073/1 एंव 1073/3 कुल रकबा 6 वीघा 5 विसवा पर मौरूषी कृषक के आधार पर नाम इन्द्राज करने की मांग की, जिस पर से तहसीलदार वृत मानपुर ने प्रकरण कमांक 8/81–82 ब–46 पंजीबद्ध करके सुनवाई उपरांत अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश कर अंतिम आदेश दिनांक 21–2–83 पारित कर दिया एंव उक्तांकित भूमि आवेदक के नाम इन्द्राज करने का आदेश दिया। जब तहसीलदार के आदेश की जानकारी अनावेदकगण को हुई, उन्होंने तहसील मानपुर में एकपक्षीय आदेश निरस्त करने हेतु संहिता की धारा 35(3) का आवेदन दिया, जिसे नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 13/87–88 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 2–6–88 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 35 (4) के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की।	

अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण कमांक 27/87–88 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–6–2000 से अपील स्वीकार की है एंव अनावेदकगण के विरूद्ध हुये एकपक्षीय आदेश को निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर गुणागुण पर विनिश्य किये जाने हेतु वापिस किया है। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 88/99–2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–1–2001 निरस्त हुई है। प्रकरण में विचार यह किया जाना है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण कमांक 27/87–88 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–6–2000 से अनावेदकगण के विरूद्ध तहसीलदार व्दारा किये गये एकपक्षीय आदेश को निरस्त कर सुनवाई का अवसर देने में त्रृटि की है ? संहिता की धारा 35 (4) में अपील की व्यवस्था इसलिये दी गई है कि यदि धारा 35 (3) का आवेदन वास्तविकता जाने बिना निरस्त कर दिया जाये – किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके पीठ पीछे उसके विपरीत न्याय न होने पावे – इस धारा का मूल उद्वेश्य यही है। इस सम्बन्ध में विद्वान अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 31–1–2001 में विस्तृत विवेचना का निष्कर्ष दिया है जिससे अहसमत होने की गुॅजायश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 88/99–2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–1–2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य